O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 2166
Date 29 AUG 2022
AGM (IT)
SE (O)/SE
EE
Section

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि, में
अपीलीय अधिकारी श्री के.के.भौरासे, महाप्रबंधक (मा.सं.)

(अपील प्र.क. 02/2022 दिनांक 27.07.2022)

क्रमांक :— 01–01/अ.प्र.क./02/2022/708 रायपुर, दिनांक 26/08/2022

श्री कृष्ण कुमार चौहान — अपीलार्थी
कोरबा

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार — उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

—:: आदेश ::—

(दिनांक 26/08/2022 को पारित)

अपीलार्थी श्री कृष्ण कुमार चौहान ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, के निर्णय दिनांक 17.06.2022 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) — प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :—

(I)	सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी।	(अ) छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि, रायपुर द्वारा दिनांक 10.04.2022 को कनिष्ठ अभियंता का विभागीय परीक्षा आयोजित किया था, जिसका कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रीकल) ब्रांच का प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका (माडल आन्सर) जिसे कंपनी ने मान्य किया है, की छायाप्रति। (ब) उपरोक्त परीक्षा में चयनित उम्मीदवार डाकेश्वर प्रसाद चन्द्राकर रोल नबंर 3016 का लिखित उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण	जन सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त विभागीय परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, (छ.ग.) में दायर याचिका कमांक 2537/2022, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। अतः जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। जिससे प्रार्थी असंतुष्ट है। विभागीय भर्ती का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका के बाहर आने पर याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं प्राप्त होगा। अतः प्रार्थी को वांछित जानकारी प्रदान करने की कृपा करें।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :—
		23.08.2022	जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। अतः अपील में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गयी।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही :—		जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा 02 बिन्दुओं के माध्यम से कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रीकल) विभागीय भर्ती परीक्षा के संबंध में जानकारी चाही गयी है। तत्संबंध में निम्नानुसार जानकारी से आवेदक को सूचित किया गया है :— <u>बिन्दु कमांक 01</u> — उक्त विभागीय परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग.) में दायर याचिका कमांक

			2537/2022, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। अतः वर्तमान में जानकारी प्रदान किया जाना संभव नहीं है। बिन्दु कमांक 02 – माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 10044/2010 अन्य विरूद्ध दिनांक 13.11.2019 **CPIO, Supreme Court Of India V. Subhash Chandra Agarwal** के प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसार (छायाप्रति संलग्न) तृतीय पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी देने की बाध्यता नहीं है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में सूचना दिये जाने को प्रतिषिद्ध किया गया है। उक्त जानकारी में अधिनियम की धारा 8(1)(h) के प्रावधान आकर्षित होते है। जब न्यायालय के समक्ष कोई प्रकरण विचाराधीन है। उसके संबंध में अन्य पक्ष को सूचना दी जाना तर्कसंगत नहीं है। न्यायाधिकरण अथवा न्यायालय के समक्ष किसी मामले में कार्यवाही विचाराधीन है उससे संबंधित जानकारी न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है।
(V)	अपील सुनवाई के दौरान अपीलार्थी का तर्क कथन		बिन्दु कमांक 02 में उपलब्ध करायी गयी जानकारी से वह संतुष्ट है। तथापि बिन्दु कमांक 01 में जो जानकारी चाही गयी है वह माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है से संबंधित नहीं है। क्योकि उच्च न्यायालय के पारित आर्डर शीट में कही भी उक्त परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी देने से मना नहीं किया गया है। तथापि जब मामला कोर्ट के अधीन है तो 04 विभागीय उम्मीदवारों का चयन कैसे हो गया है।
(VI)	जनसूचना अधिकारी का पक्ष कथन :–		विभागीय भर्ती से संबंधित याचिका कमांक 2537/2022, जो कि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। तत्संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आर्डर शीट दिनांक 08.04.2022 में यह उल्लेख किया गया है कि **The Respondents are directed to permit the petitioners to appear in the Written Examination scheduled for 10-04-2022 for the post of Junior Engineer in the Departmental Promotion process. Result of the Petitioners may not be released till further Orders by this Court.** उपरोक्त के दृष्टिगत विभागीय भर्ती प्रकिया में कार्यवाही की गयी है। चूंकि विभागीय परीक्षा के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है तब तक किसी भी प्रकार की जानकारी/दस्तावेज आवेदक को उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। क्योकि उक्त दस्तावेज के प्रकटन से भर्ती प्रकिया की गोपनीयता प्रभावित व माननीय न्यायालय की अवमानना हो सकती है।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्को से ऐसा प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही विधि संगत है।

सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा कनिष्ठ अभियंता ब्रांच (इलेक्ट्रीकल) विभागीय परीक्षा का प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका (माडल आन्सर) तथा परीक्षा में चयनित उम्मीदवार डाकेश्वर प्रसाद चन्द्राकर, रोल नबंर –3016 का लिखित उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति की मांग की गयी है।

तत्संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा तालिका कमांक (IV) एवं (VI) में जो कार्यवाही व तर्क दिया गया है वह नियम संगत है जो स्वीकार योग्य है। जब मामला न्यायाधीश (विधि के न्यायालय) के समक्ष विचारण में है, तब कोई भी जानकारी/दस्तावेज सूचनाधिकार के तहत प्रकट नहीं की जा सकती है।

अपील सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा कोई तर्कसंगत आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कनिष्ठ अभियंता की विभागीय भर्ती को दृष्टिगत रखते हुये यह उचित होगा कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका कमांक 2537/2022, में अंतिम निर्णय आने के पश्चात् ही भर्ती परीक्षा से संबंधित जानकारी/दस्तावेज को प्रकट किया जा सकता है।

तथ्यगत परिस्थितिवश प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः उल्लेखित तथ्यों के आधार पर दर्ज अपील प्रकरण कमांक 02 दिनांक 27.07.2022 को निराकृत किया जाता है।

(के.के.भौरासे)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक– 0771–2574700

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर को सूचनार्थ।

(2) श्री कृष्ण कुमार चौहान, पिता श्री तिलक राम चौहान, ई –49, के 02 विहार, एचटीपीएस, कालोनी, कोरबा (पश्चिम), पिन – 495450 को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC) छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव
छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, नवा रायपुर